कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः 18 /12–1/T.C. देहरादून, दिनांक 10 जुलाई, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय– जनपद देहरादून में सौंग बॉध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 127.6712 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ– अधिशासी अभियन्ता, अवस्थपपना (पुर्नवास) खण्ड का पत्रांक 9257 / FP/UK/Water/40701/ 2019,देहरादून दिनांक 28.फरवरी 2020

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव के कम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0–2257 / FP/UK/WATER/40701/2019 दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा लगाई आपत्तियों के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न प्रकार अंकित किया जा रहा है :–

क्र. स.	कमियॉ	निस्तारण
1	ऑन–लाईन फॉर्म–A पार्ट 2 के कमांक 1 में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम सौंदणा की 2.813 है0 भूमि की वैधानिक स्थिति Revenue Forest अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव की हार्ड प्रति के पार्ट–2 के कॉलम 7 (v) में उक्त भूमि को (वन पंचायत) सिविल सोयम भूमि अंकित किया गया है। सही सूचना अंकित की जाये।	सम्बन्धित आपत्ति मसूरी वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
2	प्रस्तावित परियोजना में कुल 8781 वृक्षों के प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें नाप भूमि में अवस्थित 313 वृक्षों को भी सम्मिलित किया गया है। कृपया ऑन–लाईन फॉर्म–A पार्ट 2 में केवल वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अंकित की जाये।	सम्बन्धित आपत्ति मसूरी वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
3	ऑन–लाईन/ऑफ लाईन फॉर्म–A पार्ट 1 में अपलोड/संलग्न किया गया लागत–लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नही है। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्राप्त होने वाले राजस्व के विवरण में अन्तर के साथ ही कतिपय अन्य गण्नायें भी त्रुटिपूर्ण है। कृप्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लागत–लाभ विश्लेषण ऑन–लाईन अपलोड करते हुये हार्ड कॉपी में भी संशोधित लागत–लाभ विश्लेषण प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न किया जाये।	वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर संलग्न करते हुए अपलोड कर दी गई है।

4	मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व स्थल न होने का प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित नही किया गया है।	वांछित सूचना अपलोड कर दी गई है।
5	परियोजना को वन भूमि में स्थापित किये जाने का औचित्य तर्कसंगत प्रतीत नही होता है, क्योकि परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पेयजल की आपूर्ति किया जाना है, जबकि Justification में ग्रामीणों की उपज को मण्डी तक पहुचने, आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।	Geographical and hydrological feasibility के अनुसार उक्त स्थल ही एकमात्र उपयुक्त स्थल है, जहाँ पर 150 MLD की जलापूर्ति हेतु बाँध का निर्माण किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप लगभग 19 लाख की आबादी लाभान्वित होगी तथा उक्त योजना के निर्माण के फलस्वरूप नये नलकूपों की आवश्यकता में कमी तथा उनके संचालन में होने वाले भारी विद्युत व्यय व रख–रखाव के व्यय में कमी आयेगी। देहरादून शहर के शहरीकरण के कारण विगत वर्षों में भूजल के स्तर में आयी गिरावट को सुधारने में परियोजना का बहुमूल्य योगदान होगा। देहरादून भाहर की आबादी की वांछित आवश्यकता हेतु पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेंगी। अतः उक्त परियोजना देहरादून भाहर में भारत सरकार की AMRUT जैसी योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी साथ ही परियोजना निर्माण से मत्सय पालन, पर्यटन आदि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों तथा जलीय जीव–जन्तुओं के संरक्षण में भी योगदान होगा।
6	पार्ट 1 के बिन्दु H में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून/मसूरी वन प्रभाग एवं प्रयोक्ता एजेन्सी प्रतिवेदन/आख्या द्वारा संलग्क की जाये।	इस संबंध में अवगत कराना है कि पार्ट 1 के बिन्दु H में त्रुटिवश पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख हो गया है, जिसे संशोधित कर दिया गया है। चूंकि यह परियोजना एक पेयजल परियोजना है एवं मात्र 5 है0 वन भूमि में Quarry (खनन क्षेत्र) की आवश्यकता है। SEIAA के अधिकारियों से हुयी वार्ता के अनुसार EIA की आवश्यकता Forest Case के In Principle 1st Stage Approval होने के बाद आवश्यक होगा। तदानुसार परियोजना के पर्यावरण की स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य सरकार में SEIAA में आवेदन किया जाएगा।
7	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के दस्तावेजों/अभिलेखों में फॉर्म–2 (for project other then linear) संलग्न नही किया गया है।	वांछित सूचना का प्रपत्र फार्म–2 अपलोड कर दिया गया है।

8	ऑन–लाईन फॉर्म–A के Section L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि के Ownership Certificate एवं MoU में परस्पर विरोधाभास है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है, किन्तु कतिपय खण्डों में भूमि की स्थिति आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश दर्शाई गयी है। सही सूचना अंकित की जाये।	बिन्दु संख्या 8 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में टिहरी बॉध परियोजना के पुनर्वास हेतु आई0डी0पी0एल0 ऋशिकेश एवं पशुपालन विभाग, ऋशिकेष की अधिग्रहित भूमि की एवज में नैनबाग तहसील के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित भूमि आंवटित की गई थी, चूंकि वर्तमान में टिहरी बॉध परियोजना के पुनर्वास हेतु आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश एवं पशुपालन विभाग, ऋषिकेश के प्रस्ताव निरस्त हो चुके है अतः उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की भूमि का उपयोग सौंग बॉध पेयजल परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में किया जाना प्रस्तावित है इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नैनबाग का पत्र संलग्न है। साथ ही शासन स्तर से सहमति भी प्राप्त है। (सहमति पत्र संलग्न)
9	ऑन–लाईन/ऑफ लाईन उपलब्ध करायी गई हार्ड प्रति में फॉर्म–A पार्ट 2 में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में भिन्नता है। कृपया सही सूचना अंकित की जाये।	सम्बन्धित आपत्ति मसूरी वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
10	ऑन–लाईन फॉर्म–A पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 12 में कोई प्रविष्टि नही की गयी है।	इस सम्बन्ध में सूचना संशोधित कर ऑनलाईन पार्ट–2 में यथास्थान अंकित कर दी गयी है।
11	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या (Site inspection report) मात्र 36.6034 है0 आरक्षित वन भूमि का ही उल्लेख किया गया है। सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि कोई उल्लेख नही किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि के अन्तर्गत 6.337 है0 नाप भूमि, 20.1311 है0 सिविल सोयम भूमि 7.89 है0 जलमग्न भूमि एवं 36.6024 है0 आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित हो रही है। कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित स्थल निरीक्षण आख्या ऑन–लाईन करते हुए प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न की जाये।	इस सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण आख्या संशोधित कर दी गयी व तद्नुसार प्रमाणिक एस0आई0आर0 ऑनलाईन पार्ट–2 के Additional Information में अपलोड कर दी गयी है।
12	ऑन–लाईन फॉर्म–A 1 के Section L में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु ऑफ लाईन फॉर्म–A पार्ट 1 में परिवारों का विस्थापन होना अंकित किया गया है। अतः सही सूचना अंकित करते हुये परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों की पुनर्वास योजना संलग्न की जाये।	ऑन–लाईन फॉर्म–A 1 के Section L में त्रुटिवश परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है। फॉर्म–A 1 के Section L को संशोधित कर दिया गया है। RFCTLARR Act की विभिन्न धाराओं के तहत पुनर्वास की कार्यवाही गतिमान है।
13	प्रस्तावित क्षेत्र के उपचार हेतु Competent authority (प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड) द्वारा अनुमोदित Cat	CAT Plan पूर्व में अपलोड किया जा चुका है।

	Plan संलग्न किया जाये।	
14	प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्मित की जाने वाली सड़क में अत्यधिक हेयर पिन वैण्ड दृष्टिगोचर हो रहे है, भू–स्खलन की स्थिति में उत्पन्न कर सकते है। इस सम्बन्ध में भू–वैज्ञानिक की संस्तुति/आख्या संलग्न की जाये।	परियोजना के लिए प्रस्तावित बांध निर्माण स्थल तक सड़क निर्माण में 07 किमी की लम्बाई में पूर्व निर्मित सड़क का मात्र चौडीकरण एवं भोश 03 किमी समतल भूमि में ही नवनिर्माण किया जाना है। जिसमें हेयर पिन बैण्ड आदि की सम्भावना नही है तथा इससे न ही कोई Flora एवं Fauna प्रभावित होगा एवं न ही कोई Geological Disturbance होगा।
15	प्रस्ताव में संलग्न Layout Plan में दिशा संकेतक प्रदर्शित नही किया गया है। कृपया दिशा संकेतक अंकित किया जाये।	संलग्नक ले–आउट प्लान में दिशा संकेतक प्रदर्शित कर दिया गया है।

अतः उक्तानुसार प्रत्युत्तर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश जनपद–देहरादून।

Office of Executive Engineer, Infrastructure (Rehab.) Division, Rishikesh, Dehradun

Fax/Tel. No. 0135-2450142 E-Mail : iandprishikesh@gmail.com

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 585 /अधि0अभि0/सौं0बॉ0परि0/2020, दिनांक 26/06/2020

विषय – जनपद देहरादून में सौंग बॉध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 127.6712 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध मे।

संदर्भ – आपके कार्यालय का पत्रांक 9257/FP/UK/Water/40701/2019,देहरादून दिनांक 28.फरवरी.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में पाई गई कमियों का उल्लेख किया गया है। आपके द्वारा उल्लेखित कमियों का निस्तारण निम्नानुसार है–

क्र. स.	कमियॉं	निस्तारण
1	ऑन–लाईन फॉर्म–A पार्ट 2 के कमांक 1 में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम सौंदणा की 2.813 है0 भूमि की वैधानिक स्थिति Revenue Forest अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव की हार्ड प्रति के पार्ट–2 के कॉलम 7 (v) में उक्त भूमि को (वन पंचायत) सिविल सोयम भूमि अंकित किया गया है। सही सूचना अंकित की जाये।	बिन्दु संख्या 1 में अंकित आपत्ति का निस्तारण सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना हैं।
2	प्रस्तावित परियोजना में कुल 8781 वृक्षों के प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें नाप भूमि में अवस्थित 313 वृक्षों को भी सम्मिलित किया गया है। कृपया ऑन–लाईन फॉर्म–A पार्ट 2 में केवल वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अंकित की जाये।	बिन्दु संख्या 2 में अंकित आपत्ति का निस्तारण सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना हैं।
3	ऑन–लाईन/ऑफ लाईन फॉर्म–A पार्ट 1 में अपलोड/संलग्न किया गया लागत–लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नही है। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्राप्त होने वाले राजस्व के विवरण में अन्तर के साथ ही कतिपय अन्य गण्नायें भी त्रुटिपूर्ण है। कृप्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लागत–लाभ विश्लेषण ऑन–लाईन अपलोड करते हुये हार्ड कॉपी में भी संशोधित लागत–लाभ विश्लेषण प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न किया जाये।	वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर संलग्न करते हुए अपलोड कर दी गई है।

4	मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व स्थल न होने का प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित नही किया गया है।	वांछित सूचना अपलोड कर दी गई है।
5	परियोजना को वन भूमि में स्थापित किये जाने का औचित्य तर्कसंगत प्रतीत नही होता है, क्योकि परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पेयजल की आपूर्ति किया जाना है, जबकि Justification में ग्रामीणों की उपज को मण्डी तक पहुचने, आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।	Geographical and hydrological feasibility के अनुसार उक्त स्थल ही एकमात्र उपयुक्त स्थल है, जहाँ पर 150 MLD की जलापूर्ति हेतु बाँध का निर्माण किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप लगभग 19 लाख की आबादी लाभान्वित होगी तथा उक्त योजना के निर्माण के फलस्वरूप नये नलकूपों की आवश्यकता में कमी तथा उनके संचालन में होने वाले भारी विद्युत व्यय व रख–रखाव के व्यय में कमी आयेगी। देहरादून शहर के शहरीकरण के कारण विगत वर्षों में भूजल के स्तर में आयी गिरावट को सुधारने में परियोजना का बहुमूल्य योगदान होगा। देहरादून शहर की आबादी की वांछित आवश्यकता हेतु पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेंगी। अतः उक्त परियोजना देहरादून शहर में भारत सरकार की AMRUT जैसी योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी साथ ही परियोजना निर्माण से मत्सय पालन, पर्यटन आदि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों तथा जलीय जीव–जन्तुओं के संरक्षण में भी योगदान होगा।
6	पार्ट 1 के बिन्दु H में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून/मसूरी वन प्रभाग एवं प्रयोक्ता एजेन्सी प्रतिवेदन/आख्या द्वारा संलग्क की जाये।	इस संबंध में अवगत कराना है कि पार्ट 1 के बिन्दु H में त्रुटिवश पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख हो गया है, जिसे संशोधित कर दिया गया है। चूंकि यह परियोजना एक पेयजल परियोजना है एवं मात्र 5 है0 वन भूमि में Quarry (खनन क्षेत्र) की आवश्यकता है। SEIAA के अधिकारियों से हुयी वार्ता के अनुसार EIA की आवश्यकता Forest Case के In Principle 1st Stage Approval होने के बाद आवश्यक होगा। तदानुसार परियोजना के पर्यावरण की स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य सरकार में SEIAA में आवेदन किया जाएगा।
7	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के दस्तावेजों/अभिलेखों में फॉर्म–2 (for project other then linear) संलग्न नही किया गया है।	वांछित सूचना का प्रपत्र फार्म–2 अपलोड कर दिया गया है।
8	ऑन–लाईन फॉर्म–A के Section L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि के Ownership Certificate एवं MoU में परस्पर विरोधाभास है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है, किन्तु कतिपय खण्डों में भूमि की स्थिति आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश दर्शाई गयी है। सही सूचना अंकित की जाये।	बिन्दु संख्या 8 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में टिहरी बॉध परियोजना के पुनर्वास हेतु आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश एवं पशुपालन विभाग, ऋषिकेश की अधिग्रहित भूमि की एवज में नैनबाग तहसील के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित भूमि आंवटित की गई थी, चूंकि वर्तमान में टिहरी

	ऋषिकेश दर्शाई गयी है। सही सूचना अंकित की जाये।	बॉध परियोजना के पुनर्वास हेतु आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश एवं पशुपालन विभाग, ऋषिकेश के प्रस्ताव निरस्त हो चुके है अतः उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की भूमि का उपयोग सौंग बॉध पेयजल परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में किया जाना प्रस्तावित है इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नैनबाग का पत्र संलग्न है। साथ ही शासन स्तर से सहमति भी प्राप्त है। (सहमति पत्र संलग्न)
9	ऑन–लाईन/ऑफ लाईन उपलब्ध करायी गई हार्ड प्रति में फॉर्म–A पार्ट 2 में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में भिन्नता है। कृपया सही सूचना अंकित की जाये।	बिन्दु संख्या 9 में अंकित आपत्ति का निस्तारण सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना हैं।
10	ऑन–लाईन फॉर्म–A पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 12 में कोई प्रविष्टि नही की गयी है।	बिन्दु संख्या 10 में अंकित आपत्ति का निस्तारण सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना हैं।
11	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या (Site inspection report) मात्र 36.6034 है0 आरक्षित वन भूमि का ही उल्लेख किया गया है। सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि कोई उल्लेख नही किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि के अन्तर्गत 6.337 है0 नाप भूमि, 20.1311 है0 सिविल सोयम भूमि 7.89 है0 जलमग्न भूमि एवं 36.6024 है0 आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित हो रही है। कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित स्थल निरीक्षण आख्या ऑन–लाईन करते हुए प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न की जाये।	बिन्दु संख्या 11 में अंकित आपत्ति का निस्तारण सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना हैं।
12	ऑन–लाईन फॉर्म–A 1 के Section L में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु ऑफ लाईन फॉर्म–A पार्ट 1 में परिवारों का विस्थापन होना अंकित किया गया है। अतः सही सूचना अंकित करते हुये परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों की पुनर्वास योजना संलग्न की जाये।	ऑन–लाईन फॉर्म–A 1 के Section L में त्रुटिवश परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है। फॉर्म–A 1 के Section L को संशोधित कर दिया गया है। RFCTLARR Act की विभिन्न धाराओं के तहत पुनर्वास की कार्यवाही गतिमान है।
13	प्रस्तावित क्षेत्र के उपचार हेतु Competent authority (प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड) द्वारा अनुमोदित Cat Plan संलग्न किया जाये।	CAT Plan पूर्व में अपलोड किया जा चुका है। आपसे दिनांक 11.03.2020 को बैठक में हुई वार्ता के क्रम में उक्त CAT Plan पर विस्तृत चर्चा भी की जा चुकी है।
14	प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्मित की जाने वाली सडक में अत्यधिक हेयर पिन वैण्ड दृष्टिगोचर हो रहे है, भू–स्खलन की स्थिति में उत्पन्न कर सकते है। इस सम्बन्ध में भू–वैज्ञानिक की संस्तुति/आख्या संलग्न की जाये।	परियोजना के लिए प्रस्तावित बांध निर्माण स्थल तक सड़क निर्माण में 07 किमी की लम्बाई में पूर्व निर्मित सड़क का मात्र चौडीकरण एवं शेष 03 किमी समतल भूमि में ही नवनिर्माण किया जाना है। जिसमें हेयर पिन बैण्ड आदि की सम्भावना नही है तथा इससे न ही कोई Flora एवं Fauna प्रभावित होगा एवं न ही कोई Geological Disturbance होगा।

15	प्रस्ताव में संलग्न Layout Plan में दिशा संकेतक प्रदर्शित नही किया गया है। कृपया दिशा संकेतक अंकित किया जाये।	संलग्नक ले–आउट प्लान में दिशा संकेतक प्रदर्शित कर दिया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों/कमियों के निराकरण. उपरान्त आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आर0के0गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : /अधि0अभि0/सौं0बॉ0परि0/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
2. वन संरक्षक, शिवालिक/यमुना वृत्त, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग को उनके पत्रांक 3660/12–1 दिनांक 05.03.2020 के कम में।

(आर0के0गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता